भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/30/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार, वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 27.09.2024

जांच शुरूआत अधिसूचना

मामला सं. एडी (ओआई) - 28/2024

विषय: चीन जन. गण. के मूल अथवा वहां से निर्यातित "1,1,1,2-टेट्राफ्लुओरोइथेन या आर-134ए" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

1. एसआरएफ लिमिटेड (जिसे आगे घरेलू उद्योग या आवदेक कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "1,1,1,2-टेट्राफ्लुओरोइथेन या आर-134ए" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश की मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)</u>

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार का 1,1,1,2-टेट्राफ्लुओरोइथेन या आर-134ए है, चाहें वह पैक्ड हो या अनपैक्ड । सीजीएमपी अनुमोदित फार्मा ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।

4. आर-134 को टेट्राफ्लुरोइथेन, जेनेट्रोन 134ए, सुवा 134ए या एचएफसी-134ए, एचएफए-134ए और नॉरफ्लुरेन के रूप में भी जाना जाता है। यह आर-12 (डाइक्लोरो डिटलुओरो मीथेन) की तरह थर्मोडाइमेटिक विशेषताओं के साथ एक हैलोएल्केन रिफ्रिजरेंट है, परंतु इसमें ओजोन क्षति की संभावना नहीं होती है। इसका फार्मूला CH2FCF3 और कोथनांक -26.3 ^{O}C (-15.34 ^{O}F) है।

5. इस उत्पाद को प्राथमिक रूप से ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर के लिए उच्च तापमान रिफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह प्लॉस्टिक फोम ग्लोविंग में एक क्लीनिंग विलयन के रूप में भी प्रयोग होता है और भेषज, गैस डस्टर की डिलीवरी के लिए एक चालक के रूप में और कंप्रेस्ड एयर से नमी हटाने के लिए एयर ड्रायर के रूप में प्रयोग होता है।

6. विचाराधीन उत्पाद के लिए वर्तमान जांच में विचार की गई माप की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) है।

7. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत उप-शीर्ष 29034500 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। 2021-22 से पहले विचाराधीन उत्पाद 29033919 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य था। इस उत्पाद को 29033990 के अंतर्गत भी वर्गीकृत किया गया था। इस उत्पाद के लिए सीमा शुल्क वर्गीकरण में बदलाव हुआ है और अब यह वर्गीकरण योग्य है और मुख्य रूप से एचएस कोड 29034500 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इस उत्पाद को एचएस कोड 29034300 में भी कम मात्रा में आयातित किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. आवेदक ने पैक्ड और अनपैक्ड रूप का संगत पीसीएन मापदंड के रूप में प्रस्ताव किया है।

पीयूसी	पीसीएन	कोड
1,1,1,2-टेट्राफ्लुओरोइथेन या आर-134ए	पैक्ड	पी
	अनपैक्ड	यू

9. हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन के बारे में अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, दे सकते हैं। इस संबंध में, कोई अनुरोध सत्यापन योग्य दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा विधिवत रूप से समर्थित होना चाहिए। औचित्य के बिना दिए गए किसी अनुरोध पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

ख. <u>समान वस्तु</u>

10. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित और आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इनके एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थानीय हैं और इसलिए इन्हें नियमावली के अंतर्गत समान वस्तु माना जाना चाहिए। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. <u>संबद्ध देश</u>

11. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

घ. <u>जांच की अवधि (पीओआई)</u>

12. जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की है। क्षति अवधि में 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के वित्तीय वर्ष तथा पीओआई शामिल है।

ङ. **घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

13. यह आवेदन एसआरएफ लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं। आवेदक ने यह भी प्रमाणित किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश से निर्यातकों या भारत में आयातकों से संबंधित हैं।

14. प्रदत्त सूचना के आधार पर यह देखा गया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

च. **सामान्य मूल्य**

15. आवेदक ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. से उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश देना चाहिए कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति मौजूद है। जब तक चीन जन. गण. से उत्पादक यह नहीं दर्शाते हैं कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं तब तक उनके सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित करना चाहिए।

16. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए आवेदक ने भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। आवेदक द्वारा दावा की गई सामान्य मूल्य की पद्धति पर जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।

छ. **निर्यात कीमत**

17. संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत को आवेदक के आंकड़ों से संबद्ध वस्तु की सीआईएफ कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात

करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

ज. <u>पाटन मार्जिन</u>

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या सिद्ध करती है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में संबद्ध देश के विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

झ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध</u>

19. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण आवेदक के संबंध में प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की मात्रा में समग्र तथा सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से कीमत कटौती सकारात्मक रही है। पाटित आयातों द्वारा हुए कीमत ह्रास ने आवेदक को उसकी पूरी लागत वसूल करने और आय की तर्कसंगत दर प्राप्त करने के लिए कीमत में वृद्धि करने से रोका है। आवेदक को वित्तीय घाटा हो रहा है। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण आवेदक को हो रही वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य उपलब्ध हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

ञ. <u>पाटनरोधी जांच की शुरूआत</u>

20. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश की मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन और विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी मात्रा, और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित

राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

ट. <u>प्रक्रिया</u>

21. नियमावली के नियम 6 में यथा प्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ठ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

22. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

23. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्टि प्राधिकारी की सरकारी वैबसाइट http://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें ।

ड. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in तथा उसकी प्रति adv11-dgtr@gov.in और consulatant-dgtr@govcontractor.in पर प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाले या निर्यातक देश से उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

29. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को एडी नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार

और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

32. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

33. अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है।

34. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

35. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और नियमावली 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण स्पष्टीकरण वाले

कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करना होगा कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

36. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

37. सार्थक अगापनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के दावे के लिए रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

38. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं हैं या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

39. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों **/** उत्तर / सूचना का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें। अनुरोधों / उत्तर / सूचना के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

त. **<u>असहयोग</u>**

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी